"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

क्रमांक-4423/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) जो दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 7 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मंत्रीगण" में सम्मिलित है "मुख्यमंत्री";

(ख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"3. मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा."

धारा 4 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को उनकी पदावधि के दौरान अनुसूची में विनिर्दिष्ट दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

(2) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को अनुसूची में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा."

अनुसूची का अंतःस्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची
[धारा 2 (क) देखें]

धारा (1)	वेतन तथा भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	(एक) मुख्यमंत्री का वेतन	रुपये 30,000 प्रतिमाह
	(दो) मंत्रियों के वेतन	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(तीन) राज्य मंत्रियों के वेतन	रुपये 25,000 प्रतिमाह
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन	रुपये 20,000 प्रतिमाह

(1)	(2)	(3)
धारा 4 (1)	(एक) मुख्यमंत्री को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(दो) मंत्रियों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(तीन) राज्य मंत्रियों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
धारा 4 (2)	(एक) मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(दो) मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(तीन) राज्य मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.	रुपये 27,000 प्रतिमाह"

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ शासन ने यह विनिश्चय किया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को प्राप्त होने वाले मासिक वेतन, दैनिक भत्ता एवं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता को पुनरीक्षित किया जाये. अत: छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. 25 सन् 1972), में संशोधन आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 13 मार्च, 2013

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्रमांक 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये एक करोड़ चार लाख चालीस हजार का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 एवं छ.ग. मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा-2, धारा-3 एवं धारा 4 (1) तथा 4 (2) के सुसंगत उद्धरण :—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-2 इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "मंत्री" के अंतर्गत "मुख्यमंत्री" आता है.

धारा-3 प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को सात हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

धारा-4 (1) मुख्यमंत्री को एक हजार एक सौ पच्चीस रुपये प्रतिदिन, मंत्री को एक हजार एक सौ रुपये प्रतिदिन, राज्य मंत्री को एक हजार नब्बे रुपये प्रतिदिन, उपमंत्री को एक हजार अस्सी रुपये प्रतिदिन तथा संसदीय सचिव को एक हजार पचहत्तर रुपये प्रतिदिन उनकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ते के रूप में दिया जाएगा.

धारा-4 (2) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव को आठ हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.